दिनांक 03 अप्रैल 2021

प्रेस–विज्ञप्ति

'ऑपरेशन फ्लश आउट' में कोताही बरतने पर 1 जेलर व 2 डिप्टी निलम्बित

'ऑपरेशन फ्लश आउट' में कोताही बतरने पर महानिदेशक कारागार राजीव दासोत ने **जिला कारागृह, सिरोही** के जेलर श्री राजूराम, **उप कारागृह, नीमकाथाना** के डिप्टी जेलर श्री विक्रम सिंह, **उप कारागृह, फलौदी** के डिप्टी जेलर श्री सत्येन्द्र को आज दिनांक 03/04/2021 को निलम्बित किया है।

महानिदेशक कारागार को अपने विश्वस्त सूत्रों से आसूचना मिली कि **जिला कारागृह, सिरोही** में कुछ बंदी एवं जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवांछनीय सामग्री पहुँच रही है। इस आसूचना को जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही श्री हिम्मत अभिलाष टांक से साझा करने पर जिला कारागृह, सिरोही की पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा शुक्रवार को औचक तलाशी ली गई। इस तलाशी में 41 ग्राम अफीम, एक ब्लूटूथ डिवाईस तथा एक सिम बरामद किये गये।

इसी प्रकार महानिदेशक कारागार को अपने विश्वस्त सूत्रों से आसूचना मिली कि **उप कारागृह, नीमकाथाना** में कुछ बंदी जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से मोबाईल फोन का प्रयोग कर रहे हैं। इस पर उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर श्री कुंवर राष्ट्रदीप के साथ यह आसूचना साझा करते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा उप कारागृह, नीमकाथाना की औचक तलाशी का अनुरोध किया। पुलिस अधीक्षक, सीकर के निर्देश पर पुलिस व जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को उप कारागृह, नीमकाथाना में औचक तलाशी लीं इसमें यह आसूचना सही पाई गई तथा जेल के लंगर में से 02 मोबाईल फोन बरामद किये गये।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राज. जयपुर

एक अन्य सूचना के आधार पर महानिदेशक कारागार राजीव दासोत द्वारा अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर श्री ओम प्रकाश शर्मा का निर्देश दिये गये कि वे अपनी विश्वस्त टीम भेजकर **उप कारागृह, फलौदी** की औचक तलाशी करवायें। फलौदी उप कारागृह में औचक तलाशी लेने पर कारागार विभाग की विशेष टीम द्वारा शुक्रवार दिनांक 02/04/2021 को मोबाईल फोन, सिम कार्ड व अन्य निषिद्ध सामग्री बरामद की गई।

उल्लेखनीय है कि **'ऑपरेशन फ्लश आउट'** के तहत दिनांक 21/11/2020 से राज्य की समस्त जेलों में मोबाईल फोन, अवांछनीय एवं निषिद्ध सामग्री तथा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत दिनांक **31 मार्च, 2021 तक** 18 सप्ताहों में कुल **11863** सघन तलाशियां विभिन्न कारागृहों में ली गई तथा तलाशी के दौरान **137** मोबाईल फोन, **90** सिम कार्ड, **33** चार्जर, **22** इयरफोन, **19** डेटा केबल, अफीम, चरस, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट इत्यादि निषिद्ध पदार्थ बरामद किये गये हैं।

'ऑपरेशन फ्लश आउट' के उपरांत भी उक्त तीनों जेलों पर अनियमितताएं पाये जाने पर तीनों जेलों के जेलर/डिप्टी जेलरों को निलम्बित कर संबंधित जेलों के संलिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए पृथक-पृथक विभागीय जांच भी आदेशित कर दी गई है। इस संबंध में पुलिस विभाग द्वारा संबंधित थाने पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान भी प्रारंभ किया गया है।

महानिदेशक कारागार राजीव दासोत ने स्पष्ट किया कि कारागार मुख्यालय द्वारा **भ्रष्टाचार, अपराधियों के साथ मिलीभगत तथा जेलों से आपराधिक गतिविधियां संचालित** करने वाले स्टाफ एवं बंदियों के प्रति **'जीरो टॉलरेंन्स'** की नीति अपनाई जा रही है जिसके अन्तर्गत किसी भी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

****